भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2342

दिनांक 03.08.2021/ 12 श्रावण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

आत्महत्या के मामले

†2342. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:
श्री रवि किशन:
श्री अरविंद सावंत:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी के बाद से देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है या अध्ययन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में नागरिकों के बीच इस प्रवृत्ति की जांच करने हेतु समाज के ऐसे वर्ग के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार लॉकडाउन के बाद मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय करके सक्रिय कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आत्महत्याओं संबंधी सूचना को अपने प्रकाशन 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या' में संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2019 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं।

कोविड-19 महामारी से देश में आत्महत्या पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, कोविड-19 से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए, सरकार ने कोविड-19 के दौरान मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु अनेक पहलें की हैं। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) विभिन्न लक्षित समूहों यथा बच्चों, वयस्कों, वृद्धजनों, महिलाओं और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के रूप में विभाजित संपूर्ण प्रभावित जनता को मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवरों द्वारा मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन की स्थापना।

ii) समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश/एडवायजरी जारी किया जाना।

iii) तनाव और चिंता को कम करने तथा सभी के लिए सहायता एवं देखभाल का वातावरण बनाने के लिए रचनात्मक और ऑडियो-विजुअल सामग्री के रूप में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रचार।

iv) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, (एनआईएमएचएएनएस), बैंगलुरू, द्वारा ''कोविड-19 महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य - गाइडेंस फॉर जनरल मेडिकल एंड स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर सेटिंग्स'' के रूप में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना।

v) सभी दिशानिर्देश, एडवायजरी और प्रचार सामग्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बेवसाइट (https:www.mohfw.gov.in/) पर ''बिहेवियरल हेल्थ-साइकोसोशियल हेल्पलाइन'' के तहत देखी जा सकती है।

vi) (आईजीओटी)- दिक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से मनो सामाजिक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में एनआईएमएचएएनएस द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों का ऑनलाइन क्षमता निर्माण।

इसके अलावा, मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन कर रही है। केंद्र सरकार एनएमएचपी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भाग के रूप में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i) आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्य स्थल में तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण तथा विद्यालयों एवं कॉलेजों में काउंसलिंग।

ii) जिला हेल्थकेयर डिलीवरी सिस्टम के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, प्रमोशन और लम्बे समय तक सतत देखभाल करने समेत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

iii) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए अवसंरचना, उपकरण और मानव संसाधन के संबंध में संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना।

iv) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सेवाओं की डिलीवरी करने में सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की सुलभता में सुधार करने के मद्देनजर, सरकार प्राईमरी हेल्थकेयर लेवल पर ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए उपाय कर रही है। "आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) स्कीम" के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सेवाओं को व्यापक प्राइमरी हेल्थकेयर के तहत सेवाओं के पैकेज में शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के दायरे के तहत, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में मानसिक, न्यूरोलोजिकल और मादक पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले विकारों (एमएन) के संबंध में प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से, समाज के सभी वर्गों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है।

******